प्रस्तावना (उद्देशिका): संविधान की आत्मा (Preamble: The soul of the Constitution)

प्रस्तावना में निम्नलिखित गुण है, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह हमारे संविधान की आत्मा है।

(i) प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है - यह प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और प्राण है। कानून की दृष्टि से यह संविधान का अंग नहीं है, फिर भी यही उसका प्रेरणा स्रोत है। संविधान के सारे उपबन्ध प्रस्तावना से स्फूर्ति ग्रहण करते है। डॉ. सुभाष कश्यप के शब्दों में, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन।

(ii) नूतन भावनाओं एवं संकल्पों का बोध - इससे शासनकर्ताओं को नई दिशाएं एवं सामाजिक समता और न्याय करने के लिए संकल्पों का बोध होता है। यह प्रस्तावना संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है तथा संविधान - निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।

(iii) प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। - संविधान की आत्मा कहते हैं : संविधान के मूल सिद्धांतों और आधारभूत मूल्यों को। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मामले में अपना निर्णय देते हुए प्रस्तावना को संविधान अथवा अधिनियम के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुन्जी कहा है।

(iv) प्रस्तावना में निहित है स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का भारत - हम जिन मान्यताओं को युगों से संजोते रहे और विशेषकर, जो विश्वास, निष्ठा और आकांक्षाएं हमने अपने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता - संग्राम काल में हृदयंगम की वे संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह परिलक्षित होती है।

(v) प्रस्तावना पर किसी वाद या एक विचारधारा का प्रभाव नहीं - चीन का शासन विधान जहां मार्क्सवादी दर्शन के प्रभाव से भरा पड़ा है वहीं अमेरिका का संविधान क्रान्तिकारी और पूंजीवादी दर्शन पर आधारित है। भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में

Scanned with CamScanner

समस्त प्रचलित विचारधाराओं के श्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ आवश्यक है। प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय का सिद्धांत व्यवहारोपयोगी है और समाजवाद, साम्यवाद या पूंजीवाद जैसे किसी विशिष्ट दर्शन का अनुगामी नहीं है।

(vi) भारतीय क्रान्ति की सूत्रधार प्रस्तावना - संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी, रूसी और अमरीकी क्रान्ति का प्रभाव झलकता है। यह बात सर्वविदित है कि फ्रांस की क्रान्ति स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व पर जोर देती है, सोवियत क्रान्ति आर्थिक समानता पर और अमरीकी क्रान्ति वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर जोर देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की धारणा में तीनों ही क्रान्तियों का समन्वय कर दिया गया है।

(vii) प्रस्तावना में निहित है भावी भारत का स्वरूप - प्रस्तावना संविधान-निर्माताओं की कल्पना के भारत का रूप प्रकट करती है। संविधान-निर्माताओं की योजना यह थी कि आर्थिक और राजनीतिक लोकतन्त्र को एक ऐसा लक्ष्य माना जाए जिस तक हमें पहुँचना है।

प्रस्तावना (उद्देशिका) में संशोधन - केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सरकार की ओर से कहा गया कि चूंकि उद्देशिका भी संविधान का भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत उसमें भी संशोधन किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किन्तु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो 'आधारभूत ढांचे' (Basic structure) से सम्बन्धित है।

मूल्यांकन - एक मुकदमें के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने 1969 में कहा था, यदि विधानमण्डल द्वारा प्रयुक्त किसी शब्दावली पर कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने का सबसे विश्वसनीय तरीका यह है कि उसके मूल में निहित भावनाओं, उसके आधार और कानून निर्माण के कारण पर विचार किया जाए तथा (संविधान की) उद्देशिका का आश्रय लिया जाए। इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसकी नीति सुनिश्चित करना है।

Scanned with CamScanner